प्रवास संबंधी निर्णय पर संघीय मैजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुनर्विचार

यह विवरणिका किसके लिए है?

यह विवरणिका उन लोगों के लिए है जो यह चाहते है कि उनके वीज़ा संबंधी निर्णय पर आस्ट्रेलिया के संघीय मैजिस्ट्रेट न्यायालय (Federal Magistrates Court of Australia) द्वारा पुनर्विचार किया जाए।

यह न्यायालय किस प्रकार के निर्णय ले सकता है?

यह न्यायालय, *प्रवास अधिनियम 1958 (Migration Act 1958)*. के अंतर्गत लिए गए कुछ निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। जो लोग प्रवास अधिनियम के अंतर्गत निर्णय लेने के ज़िम्मेदार होते है उनमें आप्रवासन तथा नागरिकता के मंत्री तथा शरणार्थी पुनर्विचार ट्राइब्यूनल (Refugee Review Tribunal) व प्रवास पुनर्विचार ट्राइब्यूनल (Migration Review Tribunal) शामिल हैं।

यह न्यायालय किसी निर्णय पर केवल तभी पुनर्विचार कर सकता है जब यह निश्चित करना हो कि कोई 'क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि' ('jurisdictional error') तो नहीं की गई है। इसका अर्थ है कि यह न्यायालय यह पक्का करता है कि निर्णय कानून के अनुसार लिया गया है या नहीं।

यह न्यायालय क्या कर सकता है?

यदि आपका पुनर्विचार के लिए दिया गया आवेदन-पत्र सफ़ल हो जाता हैं तो यह न्यायालय आपका केस उन कार्यालयों को वापस कर सकता है जो उस निर्णय के ज़िम्मेदार थे। यह न्यायालय, आप्रवासन तथा नागरिकता के मंत्री को भी आपके वीज़ा संबंधी निर्णय पर कुछ करने से रोक सकता है।

इस न्यायालय के लिए क्या करना संभव नहीं?

यह न्यायालय आपके आवेदन-पत्र की योग्यता या आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं इस पर दुबारा सोच-विचार नहीं कर सकता।

क्या यह न्यायालय स्वतंत्र है?

हाँ, यह न्यायालय उन कार्यालयों से स्वतंत्र है जो प्रवास अधिनियम के अंतर्गत वीज़ा संबंधी निर्णय लेते हैं।

इस सेवा का उपयोग कौन कर सकता है?

यदि आप अपने निर्णय से खुश नहीं हैं और यदि आपका यह मानना है कि क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि की गई है तो आप इस न्यायालय को आवेदन-पत्र भेज सकते/ती हैं। आपको आवेदन-पत्र भेजने से पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

क्या इस न्यायालय में सुनवाई अकेले में होती है?

सामन्यतः इस न्यायालय में सुनवाई के समय जनता आ सकती है। यदि आपके केस में सुरक्षा वीज़ा संबंधी निर्णय लागू होता है तो इस न्यायालय को आपकी पहचान संबंधी जानकारी को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।

क्या समय संबंधी सीमाएँ लागू होती हैं?

वीज़ा संबंधी निर्णय के बारे में आपको सूचित किये जाने के 35 दिन के अंदर ही आपको पुनर्विचार के लिए आवेदन-पत्र दर्ज कर देना चाहिए। यह न्यायालय, विशेष परिस्थितियों में समय की सीमा बढ़ा भी सकता है। यदि आपको अधिक समय चाहिए तो अपने आवेदन-पत्र में इसके बारे में लिखें व यह स्पष्ट करें कि इसके कारण क्या हैं।

मुझे कौन से फ़ार्म चाहिए होंगे?

किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आपको निम्नलिखित फ़ार्म भरने आवश्यक हैं:

- आवेदन-पत्र, तथा
- शपथपत्र (affidavit)।

आप यह कागज़ात **www.fmc.gov.au** से या आपके पास के किसी भी न्यायालय के पंजीकरण कार्यालय (court registry) से ले सकते/ती हैं।

आपके आवेदन-पत्र में यह बताना आवश्यक है कि आपके विचार से निर्णय लेने वाले/ली ने कौनसी 'क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि' की है। अपने शपथपत्र में आपको इस आरोपित त्रुटि से संबंधित सभी तथ्य व स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आप शपथपत्र के साथ जिस निर्णय पर पुनर्विचार करवाना चाहते/ती हैं उस निर्णय तथा निर्णय के कारणों के बयान की प्रतिलिपि संलग्न करें।

यह फ़ार्म मुझे किसे देने चाहिएँ?

फ़ार्म पूरे हो जाने पर, आपको अपना आवेदन-पत्र तथा प्रमाण देने वाले कागज़ात इस न्यायालय में दर्ज करवाने चाहिएँ। दर्ज करने के बाद आपको अपने आवेदन-पत्र तथा प्रमाण देने वाले कागज़ातों की सील-बंद प्रतिलिपि आप्रवासन तथा नागरिकता के मंत्री को भी देनी चाहिए तथा अधिकतर केसों में उस न्यायाधिकरण को भी जिसने यह निर्णय लिया है। इस कार्य-विधि को कागज़ातों को दर्ज करना (service of documents) कहते हैं।

आप यह कागज़ात मंत्री को प्रवासन तथा नागरिकता विभाग (Department of Immigration and Citizenship) के द्वारा दे सकते/ती हैं। इस विभाग के कार्यालय हर बड़े शहर में हैं। इस विभाग के पते संबंधी जानकारी के लिए **www.immi.gov.au** पर देखें या इस विभाग को 131 881 पर फ़ोन करें।

इस न्यायालय में सुनवाई के समय क्या होता है?

यह न्यायालय आपकी सुनवाई के लिए समय व तिथि निर्धारित करेगा। न्यायालय की प्रथम तिथि के समय न्यायालय नीचे दिए गए आदेश तथा निर्देश दे सकता है:

- तात्कालिक सुनवाई
- दूसरी या अन्तिम सुनवाई की तिथि
- रोक लगाने या अंतरिम (अस्थाई) आदेश
- संशोधित अथवा कोई अन्य कागज़ातों को प्रदान करना।

यदि यह न्यायालय अन्तिम सुनवाई से पहले तात्कालिक या दूसरी सुनवाई का आदेश देता है तो न्यायालय चाहेगा कि आप यह दिखाए कि आपका केस तर्क करने योग्य (arguable case) है। यदि आप यह नहीं दिखा सकते/तीं कि आपका केस तर्क करने योग्य है तो यह न्यायालय आपके केस को बिना अन्तिम सुनवाई के रद्द भी कर सकता है।

यह न्यायालय प्रत्येक सुनवाई के समय आपको अपने केस से संबंधित मुद्दों को सम्बोधित करने का अवसर देगा। यदि आपका व कील है तो वह आपकी तरफ़ से केस लड़ेगा। सामन्यतः आप्रवासन तथा नागरिकता मंत्री का प्रतिनिधित्व भी उनका वकील करेगा तथा इस न्यायालय में जो भी मंत्री का वकील कहेगा, उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर, आपको या आपके वकील को दिया जा एगा। जब तक की न्यायालय ने आपको न आने की अनुमति न दी हो, जब भी सुनवाई हो आपके लिए न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।

यह न्यायालय अक्सर अन्तिम सुनवाई के अन्त में अपना निर्णय सुनाता है। यदि ऐसा न हो तो यह न्यायालय निर्णय देने की तिथि आपको सूचित करेगा।

दुभाषिया संबंधी जानकारी

आप दुभाषिया टेलिफ़ोन सेवा को 131 450 पर फ़ोन करके इस न्यायालय से संपर्क कर सकते/ती हैं। यदि इस न्यायालय में सुनवाई के समय अनुवाद करने के लिए आपको दुभाषिया चाहिए तो यह आपको अपने आवेदन-पत्र में अवश्य बताना चाहिए।

क्या मुझे कुछ फ़ीस देनी होगी?

आपको अपना आवेदन-पत्र दर्ज करते समय और दुबारा अन्तिम सुनवाई के समय फ़ीस देना आवश्यक है। कुछ स्थितियों में फ़ीस नहीं लगाई जाती। यदि आप फ़ीस के बारे में अधिक जानकारी चाहते/ती हैं तो पंजीकरण कार्यालय के स्टाफ़ से बात करें।

यदि न्यायालय आपका आवेदन-पत्र रद्द कर देता है तो सम्भवतः आपको आप्रवासन तथा नागरिकता विभाग के कानूनी खर्चे देने पड़ेंगे। यदि आप अपने केस को सुनवाई से पहले ही बंद कर देते/ती हैं तो सामान्यतः आपको आप्रवासन तथा नागरिकता विभाग के कानूनी खर्चे कम अनुपात में देने पड़ेंगे।

क्या मैं अपना केस वापस ले सकता/ती हूँ?

हाँ, आप ऐसा कर सकते/ती हैं। यदि आपकी अन्तिम सुनवाई में 14 दिन से कम समय है तो आपको अपना केस बंद करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी।

क्या मुझे कानूनी सलाह की आवश्यकता है?

आपको अपने आवेदन-पत्र से संबंधित कानूनी सलाह जल्द से जल्द लेनी चाहिए। आप कानूनी सहायता कार्यालय (legal aid) या सामुदायिक कानूनी केन्द्र से कुछ निःशुल्क सलाह पाने के हकदार हो सकते/ती हैं। अन्यथा आपको अपना वकील चुनना होगा और उसकी सेवाओं के लिए खर्चा देना होगा।

यह विवरणिका केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है तथा कोई कानूनी सलाह नहीं देती। यदि आपकी समस्या कानून से संबंधित है तो क्या करना चाहिए इस विषय पर निर्णय लेने से पहले या इस न्यायालय को आवेदन-पत्र भेजने से पहले आपको वकील से संपर्क करना चाहिए। संघीय मैजिस्ट्रेट न्यायालय (Federal Magistrates Court) कानूनी सलाह नहीं दे सकता।